

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

Email पत्रांक - प्र06-रा0कू0मुद्रण-04/11 - 2642 खाद्य, पटना/दिनांक - 27/4/2012
प्रेषक,

जयशंकर प्रसाद यादव,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- राशन एवं किरासन कूपन वितरण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राशन एवं किरासन कूपन वितरण हेतु व्यापक दिशा-निदेश विभागीय पत्र सं0-2113 दिनांक 04.04.2012 द्वारा दी गई है । उक्त पत्र द्वारा कूपन वितरण की प्रारंभिक तैयारी एवं कार्य योजना तैयार करने एवं मई, 2012 के अंतिम सप्ताह तक पूर्ण रूप से कूपनों का वितरण करने का निदेश दिया गया है । साथ ही प्रत्येक प्रखंड में कूपन वितरण हेतु तिथि एवं स्थल सहित पंचायतवार रोस्टर तैयार करने एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है किन्तु अभी तक मात्र एक-दो जिलों को छोड़कर किसी भी जिला से वांछित रोस्टर की प्रति विभाग को नहीं प्राप्त हुई है ।

उल्लेखनीय है कि कूपन वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना को रोकने एवं इसमें पारदर्शिता लाने के लिए पंचायतवार तैयार किये गये रोस्टर में पंचायत का नाम, कूपन वितरण की तिथि एवं स्थान प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों का नाम, उड़नदस्ता दल के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का नाम, कूपन वितरण के समय जिला स्तर पर स्थापित किये गये नियंत्रण कक्ष का स्थान एवं दूरभाष संख्या सहित पूर्ण सूचना अपेक्षित है ।

विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पूरे राज्य में कूपन वितरण एक साथ कराया जाय । इसके लिए कूपन वितरण की तिथि दिनांक 20.05.2012 से 30.05.2012 निर्धारित की गई है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त तिथि के अनुसार पंचायतवार कूपन वितरण का विस्तृत रोस्टर तैयार कर विभाग को अविलंब उपलब्ध कराया जाय एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय । साथ ही इसकी सूचना स्थानीय जन प्रतिनिधियों को भी दी गई है ।

विश्वसिभाजन

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र06-रा0कू0मुद्रण-04/11 - 2642 खाद्य, पटना/दिनांक - 27/4/2012
प्रतिलिपि - सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र06-रा0कू0मुद्रण-04/11 - 2642 खाद्य, पटना/दिनांक - 27/4/2012
प्रतिलिपि - माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।